लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 661

जिसका उत्तर बुधवार, 23 जुलाई, 2025 को दिया जाएगा

दमन में जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग

661. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दमन में कोई जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कार्यरत है;
(ख) यदि हां, तो इसके कार्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि आयोग कार्यरत है, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं;
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोग द्वारा पंजीकृत शिकायतों/मामलों की संख्या कितनी है, और निपटाई गई शिकायतों/मामलों की संख्या कितनी है;
(ङ) आयोग के निर्णय के विरुद्ध कितने मामलों में अपील दायर की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि आयोग कार्यरत नहीं है, तो क्या यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (च): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रि स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र का प्रावधान है, जिसे आम तौर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित विवादों सहित उपभोक्ता विवादों का सरल और त्वरित निवारण प्रदान करने के लिए "उपभोक्ता आयोग" के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता आयोगों को विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और जहां भी उचित हो, उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का अधिकार है।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी) को उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है, जहां भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य पचास लाख रुपये तक है।

वर्तमान में, डीसीडीआरसी, दमन के अध्यक्ष का पद रिक्त है और श्री अश्विनी एस. अग्रवाल डीसीडीआरसी, दमन के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, राज्य आयोगों और जिला आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भरना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6(4) के अनुसार, नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम 6 महीने पहले शुरू की जाएगी। इसके अलावा, केन्द्र सरकार उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान दमन जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दायर और निपटाई गई शिकायतें क्रमशः 48 और 04 हैं और इनके विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई।

****